आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 02.01.2026 समय : 1905

<><><><><><><>

1. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आई आई टी मद्रास में कहा कि – भारत आतंकवाद के विरूद्ध अपनी रक्षा के लिए जो आवश्यक होगा वो करेगा।

2. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाच आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 2010 से 2024 के बीच जारी ओ बी सी प्रमाण पत्र चुनावी पहचान के लिए मान्य नहीं होंगे।

3. गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति का राजधानी श्री विजयपुरम में आज से तीन दिवसीय दौरा शुरू हुआ। कल गृह मंत्री के साथ सी एफ एस एल पर अहम बैठक होगी।

4. वी वी आई पी दौरे को देखते हुए दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने ड्रोन और अन्य हवाई गतिविधियों पर चार जनवरी तक प्रतिबंध लगाया।

<><><><><><>

विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार रखता है और कोई यह तय नहीं कर सकता कि भारत अपनी रक्षा कैसे करे। चेन्नई में आई आई टी मद्रास टेक्नो एंटरटेंमेंट उत्सव – शास्त्र 2026 के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेगा।विदेश मंत्री ने देश की पड़ोस नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से होने वाले आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि लगातार जारी सीमापार आतंकवाद सद्भाव को कमजोर करता है और जल – बंटवारे जैसी व्यवस्थाओं के लाभ को निष्क्रिय करता है। उन्होंने कहा कि सहयोग और हिंसा एक साथ नहीं चल सकते। भारत के व्यापक दृष्टिकोण के बारे में डॉ. जयशंकर ने वसुधैव कुटुम्बकम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति दुनिया को एक परिवार मानती है और राष्ट्रीय क्षमताओं तथा साझेदारियों के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है।

<><><><><><>

अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने कहा है कि पिछले वर्ष दुनिया भर में कुल एक सौ अटठाईस पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की हत्या हुई। जिससे 2025 पत्रकारिता के लिए सबसे घातक वर्षों में से एक बन गया।

पत्रकार संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य–पूर्व और अरब जगत सबसे खतरनाक क्षेत्र था, जहां मुख्य रूप से संघर्ष रिपोर्टिंग के कारण चौहत्तर मौतें हुईं, जो वैश्विक कुल मौतों का लगभग अठावन प्रतिशत है। अकेले फिलिस्तीन में छप्पन पत्रकार मारे गए। इसमें ज्यादातर पत्रकार गाजा युद्ध से संबंधित थे। अन्य प्रभावित देशों में यमन में तेरह, यूक्रेन में आठ, सूडान में छ, भारत और पेरू में 4–4 मौतें तथा पाकिस्तान, मैक्सिको, फिलीपींस में तीन–तीन पत्रकारों की मौत हुई।

<><><><><><><>

निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्रों को विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी मसौदा मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों के निपटान के दौरान वैध पहचान दस्तावेज नहीं माना जाएगा। यह कदम पिछले वर्ष चौबीस दिसंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद आया है जिसमें 2010 से 2024 के बीच जारी एक सौ 13 समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र कानूनी वैधता पूरी न होने के कारण रद्द कर दिए गये थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग पात्र मतदाता है, लेकिन 2010 के बाद के उनके प्रमाण–पत्रों को चुनाव संबंधी मामलों में पहचान या समुदाय वर्ग के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

<><><><><><><>

लोगों की व्यक्तिगत डिजिटल गतिविधि, ऑनलाइन खर्च या जीवनशैली से जुडी जानकारी आयकर विभाग द्वारा ट्रैक किए जाने संबंधी दावा करने वाली एक पोस्ट का सरकार ने खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि किसी व्यक्ति की डिजिटल या ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी के लिए आयकर विभाग ने कोई तंत्र नहीं बनाया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के दावे झूठे और भ्रामक हैं। सरकार ने नागरिकों से इस प्रकार की गलत सूचना से सजग रहने और तथ्यों पर विश्वास करने से पहले उनकी जांच करने का आग्रह किया है।

<><><><><><><>

गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वीप समूह के तीन दिवसीय दौरे पर आज श्री विजय पुरम पहुंची। समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल का दौरा कर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम देखा। समिति की कल केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ केन्द्रीय फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला और राष्ट्रीय

फोरेन्सिक विज्ञान विश्वविद्यालय के संबंध में वन्डूर के एक निजी होटल में बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री लोक निवास जाएंगे।

इस बीच, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के मद्देनजर, वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु कल के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। इस दौरान नेताजी स्टेडियम से लेकर धन्नीखाड़ी तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने कहा है कि आर.जी. टी. रोड– हवाघर जंक्शन – नयागांव – चक्करगांव – कार्बाइंस चौक और भातूबस्ती तक जाने के लिए लोग इन वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। यह व्यवस्था कल दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रहेगी। किसी भी आपात स्थिति जैसे हवाई अड्डा, परीक्षा में शामिल होना, चिकित्सा कारणों से यात्रा के लिए नागरिक यातायात नियंत्रण कक्ष या व्हाट्सऐप नम्बर 9531892228 पर संदेश भेज सकते हैं। कहीं भी सड़कों को पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार दक्षिण अंडमान जिले में वीवीआईपी दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने ड्रोन एवं अन्य हवाई गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। आज से 4 जनवरी तक कुछ क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने, संचालन या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आईटीएफ मैदान, डीब्रेट, लोक निवास, वंडूर, चिड़िया टापू तथा नेताजी स्टेडियम क्षेत्र शामिल हैं। इस अवधि में ड्रोन के साथ–साथ पैरा–ग्लाइडिंग, पैराशूट जंपिंग एवं अन्य समान हवाई गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा दो सौ तेईस सहित अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

<><><><><><><>

अति विशिष्ट व्यक्तियों के द्वीपसमूह दौरे को देखते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों के संबंध में पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की गई हैं। पुलिस ने आम जनता को कार्यक्रम स्थलों पर गुलदस्ता, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिगरेट, लाइटर, माचिस, बैग और कंटेनर, सिक्के, छाता, पैकेट, कांच की वस्तुएं और नुकीली चीजें न लाने की सलाह दी है। कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों से कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के समय सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की गई है।

<><><><><><><>

भारत ने स्विट्जरलैंड में क्रान्स मोंटाना में आग दुर्घटना पर दुःख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत इस दुःख की घड़ी में स्विट्जरलैंड और उसके लोगों के साथ खड़ा है। स्विट्जरलैंड में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वेलिस केंटॉन के क्रान्स मोंटाना स्की रिसोर्ट में एक बार में विस्फोट और आग की घटना में लगभग 40 लोग मारे गए और कई घायल हो गए।

<><><><><><><>